"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2011— चैत्र 18, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रंजना देवघरे पति श्री विनोद देवघरे, आयु 40 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं. - 5, प्लाट नं.-3 नेहरू नगर (पूर्व) तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं रंजना चौरे आत्मजा श्री प्रकाश चौरे के नाम से जानी - पहचानी जाती थी, मेरा विवाह दिनांक 27-07-1992 को श्री विनोद देवघरे आ. स्व बी. एम. देवघरे के साथ सम्पन्न हुआ, वैवाहिक रीति-रिवाज अनुसार विवाह के समय मेरा नाम " रंजना " से परिवर्तित कर " विनीता " रख दिया गया, जो कि भूलवंश मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त शासकीय/अर्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज हो गया है. जिसे सुधार कर " विनीता " के स्थान पर " रंजना " दर्ज करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती रंजना देवघरे पति श्री विनोद देवघरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
विनीता देवघरे पति-श्री विनोद देवघरे निवासी-ब्लाक नं. - 5 प्लाट नं.-3 नेहरू नगर (पूर्व) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रंजना देवघरे पति-श्री विनोद देवघरे निवासी-ब्लाक नं. - 5 प्लाट नं.-3 नेहरू नगर (पूर्व) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, झाडूराम वर्मा पिता श्री दुखूराम वर्मा, आयु 37 वर्ष, जाति-कुर्मी निवासी-ग्राम सुहेला तहसील-सिमगा जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम झाडूराम वर्मा को परिवर्तित कर अपना नाम अनिल वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे अनिल वर्मा पिता दुखूराम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
झाडूराम वर्मा पिता-श्री दुखूराम वर्मा निवासी ग्राम-सुहेला तहसील-सिमगा जिला-रायपुर (छ. ग.)	अनिल वर्मा पिता-श्री दुखूराम वर्मा निवासी ग्राम-सुहेला तहसील-सिमगा जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोरजध्वज विनायक आ. श्री विशकरण प्रसाद, उम्र 34 साल, निवासी-ग्राम डूंडेरा पो.- उतई जिला - दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरा पूर्व नाम मोरजध्वज वर्मा मेरे पेन कार्ड व कुछ अभिलेखों में दर्ज हो गया है. जिसके स्थान पर पूरा व सही नाम मोरजध्वज विनायक आ. श्री विशकरण प्रसाद सुधार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे मोरजध्वज विनायक आ. श्री विशकरण प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोरजध्वज वर्मा आ. श्री विशकरण प्रसाद निवासी- ग्राम-डूंडेरा, पो.-उतई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मोरजध्वज विनायक आ. श्री विशकरण प्रसाद निवासी- ग्राम-डूंडेरा, पो.-उतई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश कुमार मुखरैया पिता स्व. श्री किशन लाल मुखरैया, आयु 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4/डी, सड़क नं. 11, सेक्टर -1 भिलाई नगर, तह. व जिला - दुर्ग (छ. ग.) का हूं. वर्तमान में मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल एण्ड स्ट्रक्चरल मिल में कार्यरत हूं. यह कि मेरे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल म. प्र. द्वारा जारी मेरे ग्यारहवीं कक्षा की अंकसूची में भूलवश मेरा नाम सुरेश कुमार आ. श्री किशन लाल अंकित हो गया है, जिसे सुधार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे सुरेश कुमार मुखरैया पिता स्व. श्री किशन लाल मुखरैया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुरेश कुमार आ. स्व. श्री किशन लाल निवासी-क्वा. नं 4/डी, सड़क नं. 11, सेक्टर -1 भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सुरेश कुमार मुखरैया आ. स्व. श्री किशन लाल मुखरैया निवासी-क्वा. नं 4/डी, सड़क नं. 11, सेक्टर -1 भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय केशवराव फडनविस आ. स्व श्री के. जी. फडनविस, आयु 52 वर्ष, जाति-हिन्दू निवासी-क्वा. नं. 10/ए सेक्टर -रूआबांधा, भिलाई नगर, भिलाई जिला - दुर्ग (छ. ग.) का निवासी हूं तथा मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल एण्ड स्ट्रक्चरल मिल में कार्यरत हूं. मैने अपनी सुविधा की दृष्टि से अपना उपनाम जोड़ने बाबत संजय कुमार की जगह संजय केशवराव फडनविस परिवर्तित कर लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संजय केशवराव फडनविस आ. स्व. श्री के. जी. फडनविस के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. तथा मेरे सर्विस रिकार्ड संबंधी दस्तावेजों में भी सुधार किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
संजय कुमार आ. स्व. के. जी. फडनविस, निवासी-क्वा. नं. 10/ए, सेक्टर-रूआबांधा, भिलाई नगर जिला-दुर्ग (छ. ग.)	संजय केशवराव फडनविस आ. स्व. के. जी. फडनविस, निवासी-क्वा. नं. 10/ए, सेक्टर-रूआबांधा, भिलाई नगर जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कुरूद जिला-धमतरी

कुरूद, दिनांक 23 मार्च 2011

प्रकरण क्र. ब/113 सन् 2010-11

क्रमांक /198/अविअ/वा/2011.— सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक किशन गोपाल महावर पिता मक्खनलाल महावर एवं अन्य पदाधिकारी/सदस्यगण प्रस्तावित पब्लिक ट्रस्ट, शांति घाट व्यवस्था समिति (लोक न्यास) कुरूद प. ह. नं. 35 जिला धमतरी द्वारा हिन्दू श्मशान घाट में व्याप्त गंदगी अव्यवस्था एवं सुविधाओं की कमी को ध्यान रखकर सात सदस्यों की समिति का गठन कर श्मशान घाट की व्यवस्था की जवाबदारी नगर पंचायत कुरूद से समिति ने ले ली है. उक्त समिति को छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन की सुनवाई 13-04-2011 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होवें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आवेदन/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 23-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

बी. एल. गजपाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ (छ.ग.)

धरमजयगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्रमांक 01.— फारेस्ट मैनुअल में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए धरमजयगढ़ वन मण्डल के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र लैलूंगा में सुरक्षा की परिधि में समाहित करते हुए लैलूंगा एवं पाकरगांव परिसरों को पुनर्गठन संलग्न अधिसूचना अनुसार किया जाता है एवं उक्त आदेश की तिथि से प्रभावशील होगा.

सत्य प्रकाश मसीह,
वनमण्डलाधिकारी.

वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ (छ. ग.)

क्रमांक

धरमजयगढ़/दिनांक

सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि धरमजयगढ़ वन मण्डल के लैलूंगा परिक्षेत्र का परिसर पाकरगांव एवं लैलूंगा का पुनर्गठन निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है. पुनर्गठन आदेश की तिथि से प्रभावशील होगा.

वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	जिले का नाम	उपवन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	सहा. परि. का नाम	प्रस्तावित परिसर का नाम एवं मुख्यालय	कक्ष क्र.	आ. वन क्षेत्र	सं. वन	योग	सम्मिलित ग्राम	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
बिलासपुर	धरमजयगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	लैलूंगा	लैलूंगा मु. लैलूंगा	185	283.1	-	283.1	लैलूंगा	**उत्तर** :- उप परिक्षेत्र राजपुर की पूर्वी सीमा एवं जशपुर की सीमा.
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	186	289.3	-	289.3	अंगेकला	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	201	-	30.6	30.6	झरन	**पूर्व** :- ग्राम पाकरगांव की सीमा नाला.
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	202	-	21.1	21.1	जामबहार	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	203	-	17.5	17.5	खडेआमा	**दक्षिण** :- कक्ष क्र. 229 पी. की दक्षिणी सीमा लैलूंगा, झगरपुर मार्ग ग्राम झगरपुर की सीमा.
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	205	-	22.3	22.3	गोसाईडीह	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	210	-	180.1	180.1		**पश्चिम** :- ग्राम मोहनपुर उप परिक्षेत्र राजपुर की दक्षिणी पूर्वी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
बिलासपुर	धरमजयगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	लैलूंगा	लैलूंगा मु. लैलूंगा	230	-	58.3	58.3		
							योग	**572.4**	**329.9**	**902.3**		
बिलासपुर	धरमजयगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	लैलूंगा	पाकरगांव मु. पाकरगांव.	223	83.9		83.9	पाकरगांव	**उत्तर** :-नाला से ग्राम बांसडांड की सीमा जशपुर जिले की सीमा.
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	224	284.3		284.3	रूडकेला	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	225	257.4	-	257.4	कोतरा.	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	221	-	48.6	48.6	केनदाटिकरा	**पूर्व** :- उप परिक्षेत्र मुकडेगा की पश्चिमी सीमा.
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	222	-	64.1	64.1	माझीआमा	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	231	-	09.7	09.7	कुपाकानी	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	232	-			झारआमा	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	233	-	12.8	12.8	बीरसिघा	**दक्षिण** :- उप परिक्षेत्र मुकडेगा की पश्चिमी सीमा/खुरूंगनाला.
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	235	-	34.4	34.4	गमेकेला	
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	236	-	09.8	09.8	कंझारी	**पश्चिम** :- नाला
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	237	-	10.1	10.1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
बिलासपुर	धरमजयगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	लैलूंगा	पाकरगांव मु. पाकरगांव	238	-	19.0	19.0		
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	239	-	22.7	22.7		
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	240	-	20.9	20.9		
--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	--"--	241	-	17.0	17.0		
							योग	**625.6**	**269.1**	**894.7**		

सत्य प्रकाश मसीह,
वनमण्डलाधिकारी.

वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

धरमजयगढ़, दिनांक 5 मार्च 2011

आदेश क्रमांक/मा. चि./17.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शाया गया बीट हेमर 180 RG श्री कुंज बिहारी दासे वन रक्षक द्वारा दिनांक 23-06-2009 को रात्रि विश्राम करते समय चोरी होना सूचित किया है, जो आज तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना लैलूंगा में दिनांक 23-06-2009 को दी गई है.

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चोरी हुए बीट हेमर 180 RG को वनमण्डल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे कृपया निकटतम थाने में अथवा वन मण्डल कार्यालय में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चोरी हुए बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

उक्त चोरी हुए बीट हेमर की कीमत रु. 125.00 (रु. एक सौ पच्चीस) मात्र श्री कुंज बिहारी दासे वनरक्षक से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं. साथ ही हेमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी बरतने के कारण श्री कुंज बिहारी दासे वन रक्षक केशला, वर्तमान पदस्थिति मुकडेगा परिसर को चेतावनी दी जाती है.

180
RG

एस. पी. मसीह,
वनमण्डलाधिकारी.

सचालक. मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.